1987 से सभी किस्मों की इलायची के निर्यात पर यथामल्य तीन प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगाती है।

[फा. सं. 1/14/87-ई. पी. (ऐग्री-5)].

डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 27th February, 1987

NOTIFICATION

CARDAMOM CONTROL

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Spices Cess Act, 1986, the Central Government hereby levies by way of cess for the purpose of the Spices Board Act, 1986, a duty of customs on export of cardamom of all varieties at the rate of three per cent ad-valorem with effect from 26th February, 1987.

[F. No. 1|14|87-EP (Agri. V)]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1987/फाल्गुन 9, 1908
No. 93] NEW DELHI, SATURDAY, FEB. 28, 1987/PHALGUNA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1987

आदेश

का.आ. 146(अ) : —केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक